नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप व
पुनर्विचार प्रार्थना की तारीख
पेशी हेतु 10/2/25 को पेश हो

10/2/25

पत्रावली पेश हुई

अभिभाषक [illegible] सहित्कार
आगामी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
निवाई

3/3/25 को पेश हो

3/3/25

प्रकाशवली पेश हुई वादिनी की ओर से उपस्थित आकर प्रार्थना की कि उपस्थित पत्र श्रवण पत्रावली तथा दिये गये पेश किये गये पत्र के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादिनी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दिनांक 10/2/25 को पेश किया गया है जो कि निर्धारित अवधि में है। प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र अनुसार पत्रावली दिनांक 10/2/25 को पेश की गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की सम्यक् रूप से विवेचना की गई है। पत्रावली में ऐसा कोई नवीन तथ्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर पुनर्विचार किया जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अनुसार पत्रावली दिनांक 10/2/25 को पेश की गई है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की सम्यक् रूप से विवेचना की गई है। पत्रावली में ऐसा कोई नवीन तथ्य या साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर पुनर्विचार किया जा सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत होकर खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)